पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (राज)

(श्री कल्याण राजकीय महाविद्यालय के पीछे, सीकर–332001)

टेलीफोन नं. 01572–272100, 273100, 273200 टेलीफेक्स 01572–273100

वेबसाईट: www.shekhauni.ac.in ई–मेल: reg.shekhauni@gmail.com

क्रमांक– प–01 ( )सम्बद्धता/2017–18/ 1230 दिनांक– 10.10..2017

परिपत्र

विश्वविद्यालय सम्बद्धता के नियमानुसार ऐसे महाविद्यालय जिन्हें अस्थाई (सामयिक) सम्बद्धता मिलती है उन्हें प्रतिवर्ष सम्बद्धता के लिए आवेदन करना अनिवार्य होता है। अतः सम्बन्धित महाविद्यालय को निरीक्षण के बाद नई समयावधि के लिये सम्बद्धता प्रदान की जाती है। यदि किन्हीं कारणों से नये शैक्षणिक वर्ष के लिए सम्बद्धता नहीं ली जाती है तो पूर्व की सम्बद्धता स्वतः ही समाप्त हो जाती है एवं ऐसे महाविद्यालय न तो नए शैक्षणिक सत्र में विद्यार्थियों को प्रवेश दे पाते हैं व न ही विश्वविद्यालय ऐसे महाविद्यालयों के विद्यार्थियों की परीक्षा आयोजित करवा सकता है।

बोर्ड ऑफ मैनेजमेन्ट बैठक दिनांक 06.09.2017 के कार्यवृत बिन्दु संख्या 29 के अनुसार उपरोक्त प्रावधानों की पालना में जिन सम्बद्ध महाविद्यालयों ने शैक्षणिक सत्र 2017–18 के लिए निरीक्षण नहीं करवाया है, निरीक्षण के लिए आवेदन नहीं किया है उनकी मान्यता स्वतः रद्द मानने के निर्णय का अनुमोदन किया गया है।

निम्नलिखित बिन्दु विश्वविद्यालय प्रशासन के ध्यान में आये हैं कि:–

1. कुछ ऐसे महाविद्यालय भी हैं जिन्होंने शैक्षणिक सत्र 2017–18 के लिए न तो सम्बद्धता हेतु आवेदन किया है एवं न हीं निरीक्षण करवाया है लेकिन महाविद्यालय में द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में प्रवेश किये हैं।
2. कुछ ऐसे महाविद्यालय भी हैं जिन्होंने शैक्षणिक सत्र 2017–18 की सम्बद्धता हेतु आवेदन तो किया परन्तु निरीक्षण नहीं करवाया है।
3. कुछ ऐसे महाविद्यालय भी हैं जिन्होंने सीट अभिवृद्धि एवं नवीन संकाय/विषय की सम्बद्धता हेतु आवेदन किया है परन्तु पूर्व में संचालित संकाय/विषय की अभिवृद्धि हेतु निरीक्षण शुल्क जमा नहीं करवाया है।

सभी महाविद्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि यदि उन्होने सम्बद्धता हेतु आवेदन कर निरीक्षण शुल्क जमा नहीं करवाया है वे दिनांक 27.10.2017 तक निरीक्षण शुल्क जमा करवावें तथा ऐसे महाविद्यालय जिन्होंने निरीक्षण शुल्क जमा करवा दिया है पर निरीक्षण नहीं करवाया है वे दिनांक 27.10.2017 तक विश्वविद्यालय को सूचित करें ताकि उनका निरीक्षण करवाया जा सके।

सम्बद्धता के अभाव में विधिक प्रावधानों की पालना में विश्वविद्यालय के लिए ऐसे महाविद्यालयों/पाठ्यक्रमों की परीक्षा आयोजित करने में कठिनाई होगी।

कुलसचिव

प्रतिलिपि:–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ भेजी जाती है:–

1. कुलपति सचिवालय।
2. आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
3. वित नियंत्रक।
4. परीक्षा नियंत्रक।
5. प्रभारी संस्थापन।
6. समस्त प्राचार्य सम्बद्ध महाविद्यालय जिला सीकर एवं झुन्झुनू।
7. प्रभारी वेबसाईट, अपलोड किये जाने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।

कुलसचिव